

अनुसंधान विस्तारण केन्द्र / RESEARCH EXTENSION CENTRE

[मुख्यालय: कर्नेलअग्रसं, मैसूर / H.O.: Central Sericultural Research and Training Institute, Mysore]
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार / Central Silk Board, Ministry of Textiles, Govt. of India



दूरभाष / Telephone: 04285-228171
ई-मेल / E-mail: recgobi@gmail.com

162-A, कुप्पम्मल लेआउट /
162-A, Kuppammal Layout,
गोबिचेट्टीपालयम, 638476,
GOBICHETTIPALAYAM-638476
इरोड जिला / ERODE-Dist (TN)

सं: करेबो/अविकें/गोबि / एचि 07 / 2024-25 /
NO.CSB/REC/GOBI/AC-07/2024-25/

दिनांक / Date: 22-05-2024

अधिसूचना/ NOTIFICATION

महोदय / Sir,

विषय: विस्तार गतिविधियों के लिए वाहन किराए पर लेना - मासिक अनुबंध के आधार पर टाटा इंडिका, या मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर - कोटेशन के लिए कॉल करें - संबंध में;
विषय / Sub: Hiring of Vehicle for extension activities – TATA Indica, or Maruti suzuki swift Dzire on monthly contract basis - Call for quotation – reg;

यह कार्यालय निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ आरईसी, गोबिचेट्टीपालायम के तहत गोबी, भवानी, एंथियूर, अन्नूर, मनुरपालयम, धारापुरम क्लस्टर की विस्तार गतिविधियों के उपयोग के लिए मासिक अनुबंध के आधार पर वाहन किराए पर लेने के लिए कोटेशन आमंत्रित कर रहा है। इसलिए, इच्छुक पार्टियां 12.06.24 को अपराह्न 3.00 बजे या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में कोटेशन जमा कर सकती हैं।

This office is inviting quotation for hiring of vehicle on monthly contract basis for the use of Extension activities of Gobi, Bhavani, Anthiyur, Annur, Manurpalayam, Dharapuram cluster under REC, Gobichettipalayam with the following terms and conditions. Hence, the interested parties may submit the quotation in sealed envelope on or before 12.06.24 at 3.00 P.M.

उपरोक्त तिथि और समय सीमा के भीतर प्राप्त सीलबंद कोटेशन उसी तिथि यानी 12.06.24 को शाम 04.00 बजे खोली जाएंगी। पार्टी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में।

The sealed quotations received within the above date & time limit will be opened on the same date i.e., 12.06.24 at 04.00 P.M. in the presence of the party or its authorized representative.

आपकी प्रतिस्पर्धी दर का कोटेशन आपके लेटर हेड में इस कार्यालय में 12.06.24 को अपराह्न 03.00 बजे तक या उससे पहले जमा किया जा सकता है (कोटेशन प्रारूप संलग्न है)। सीलबंद लिफाफे पर विधिवत रूप से "अनुबंध के आधार पर वाहन किराए पर लेने के लिए कोटेशन" लिखा होना चाहिए। गोबी मेगा क्लस्टर" और पंजीकृत डाक द्वारा वैज्ञानिक-डी, अनुसंधान विस्तार केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार, 162-ए, कुप्पम्मल लेआउट, गोबिचेट्टीपलायम को संबोधित किया जाना चाहिए।

Quotation of your competitive rate may be submitted in your letter head to this office on or **Before 12.06.24 at 03.00pm** (The Quotation format enclosed). The sealed envelope should be duly super scribed as "**Quotation for HIRING OF VEHICLE ON CONTRACT BASIS FOR GOBI MEGA CLUSTER**" and be addressed to the **Scientist-D, Research Extension Centre, Central Silk Board, Govt of India, 162-A, Kuppammal layout, Gobichettipalayam, by Registered Post.**

भवदीय / Yours faithfully,



वैज्ञानिक-डी / Scientist - D, REC, Gobil

नियम और शर्तें / TERMS AND CONDITIONS:

1. Hiring of Vehicle is on Kilometer basis only.
वाहन किराये पर केवल किलोमीटर के आधार पर है।
2. Total number of days of the vehicle required in a month – 20 days.
एक माह में आवश्यक वाहन दिवसों की कुल संख्या - 20 दिन।
3. The monthly usage will be 2500 kms or 200 hrs of duty. However, the number of KM may vary and payment will be based on the number of KM used in that month.
मासिक उपयोग 2500 किलोमीटर या 200 घंटे की इयूटी होगी। हालाँकि, KM की संख्या भिन्न हो सकती है और भुगतान उस महीने में उपयोग किए गए KM की संख्या के आधार पर होगा
4. If usage extends as specified above, will be charged on KM basis and if the usage exceeds 200 hours, the excess duration shall be paid on hourly basis.
यदि उपयोग ऊपर बताए अनुसार बढ़ता है, तो किलोमीटर के आधार पर शुल्क लिया जाएगा और यदि उपयोग 200 घंटे से अधिक है, अतिरिक्त अवधि का भुगतान प्रति घंटे के आधार पर किया जाएगा।
5. The rate quoted shall be all inclusive including driver Bata, Toll Fee, Taxes etc.
उद्धृत दर में ड्राइवर बाटा, टोल शुल्क, सब कुछ शामिल होगा। कर आदि
6. The hired vehicle shall not be older than 5-8 years, should have yellow board and also in good running condition.
किराए पर लिया गया वाहन 5-8 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, उस पर पीला बोर्ड लगा होना चाहिए और अच्छी चालू हालत में भी
7. In case of break down, the vehicle provider shall replace the vehicle within 24 hours at the cost of the service provider or will be adjusted on monthly rental of the vehicle.
खराबी की स्थिति में, वाहन प्रदाता 24 के भीतर वाहन को बदल देगा सेवा प्रदाता की लागत पर घंटे या मासिक किराये पर समायोजित किया जाएगा वाहन का।
8. The authority reserves the right to terminate the contract if the services are not satisfactory and hampers the official work.
यदि सेवाएँ नहीं हैं तो प्राधिकरण अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है संतोषजनक तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है।
9. The vehicle shall run from the Cluster Head Quarter and movement of the vehicle restricted to only cluster area.
वाहन क्लस्टर मुख्यालय से चलेगा और वाहन की आवाजाही केवल क्लस्टर क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी।
10. The vehicle and the driver should have valid documents such as Aadhaar Card/PAN, Valid Driving License, RC Book, Emission Test Certificate, Vehicle Insurance etc.
वाहन और चालक के पास आधार कार्ड/पैन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, उत्सर्जन परीक्षण प्रमाणपत्र, वाहन बीमा आदि जैसे वैध दस्तावेज होने चाहिए।
11. The Competent Authority will finalize on hiring of vehicle.
सक्षम प्राधिकारी वाहन किराये पर लेने पर अंतिम निर्णय लेंगे।
12. Quotation should be sent by Registered Post/Speed Post only.
कोटेशन केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए

13. The vehicle provider should have PAN number registered under CGST & SGST, TDS (Tax Deduction at Source) will be effected at the time of payment under the rule 194-c of TDS rate chart.

वाहन प्रदाता के पास सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत पंजीकृत पैन नंबर होना चाहिए, टीडीएस दर चार्ट के नियम 194-सी के तहत भुगतान के समय टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) प्रभावी होगा।

14. After issuing the vehicle approval for hiring, agreement to be made up to March'25 with vehicle provider to provide the vehicle for the agreement period only. If discontinued to provide the vehicle, the penal charges to be framed against the vehicle provider @ 10%.

वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति जारी करने के बाद, वाहन प्रदाता के साथ केवल अनुबंध अवधि के लिए वाहन उपलब्ध कराने के लिए मार्च 25 तक समझौता किया जाना है। यदि वाहन प्रदान करना बंद कर दिया जाता है, तो वाहन प्रदाता के खिलाफ 10% की दर से दंडात्मक आरोप लगाए जाएंगे।

15. The undersigned reserves the right to reject in part or in full any quotation which will not comply with the terms and conditions.

अधोहस्ताक्षरी के पास किसी भी कोटेशन को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है जो नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं करेगा।